3-15

This Indenture made the 3rd day of Octr 1914 between Mrs. Francis Ball, at present residing at Agra, the executrix of the will of Mr. Percy Marshall Ball Advocate of the Civil Lines Agra, hereafter called the executrix of the one part, and the Court of Wards for the United Provinces and as such charged with the superintendence of the person and property of Raja Mahendra Pra singh, son of Raja Mahendra Mahendra Singh of Khadwar regent of Naugaon, tahsil Bah, district Agra, hereinafter called the purchaser of the other part.

Whereas the said Mr. Percy Marshall Ball was seized and possessed of the bungalow and compound situate in the Civil Lines of Agra and numbered 54 and measuring 17 bighas and known as "Kunkerwala Kothi" and bounded on the north by the stables, coach houses, outhouses and wall of the old Bank house, now the property of the estate of the late Mrs. Luckstedt, and partly by the lands attached to Nagla Jawahir, on the south by public road, on the east by the compound of the Civil Courts, and on the west by a strip of land between the house of Lala Hannuperchad and partly by neem trees and lands belonging to the late Raja Seth Lachman Das C.I.E. of Muttra and more particularly delineated in the map or plan hereto annexed. And whereas the said Mr. Percy Marshall Ball did on the 15th day of May 1896 execute his last will and testament wherein he appointed the said Mrs. Francis Ball executrix of his said will; and whereas on the 15th day of July 1913 letters of administration with a copy of the said will attached were granted by the District Judge of Agra to the said executrix.

And whereas the said Raja Mahendra Man Singh was declared disqualified from managing his property owing to his minority under D. O. No. 2069/X-753E, dated the 13th August 1902 under section 8(a) of Act III of 1899, and the Court of Wards accordingly assumed the superintendence of his property. And Whereas the Court of Wards considering it to be for the advantage of the said Raja Mahendra Man Singh and for the benefit of his property has agreed with the said executrix to purchase the said bungalow situated in Civil Lines of Agra numbered 54 and known as the Kunkerwala Kothi for the sum of Rs 25 (Rupees twenty-five thousand).

NOW THIS INDENTURE WITNESSETH that in pursuance of the said agreement and consideration of the said sum of rupees twenty-five thousand (Rs 25,000/-) this d

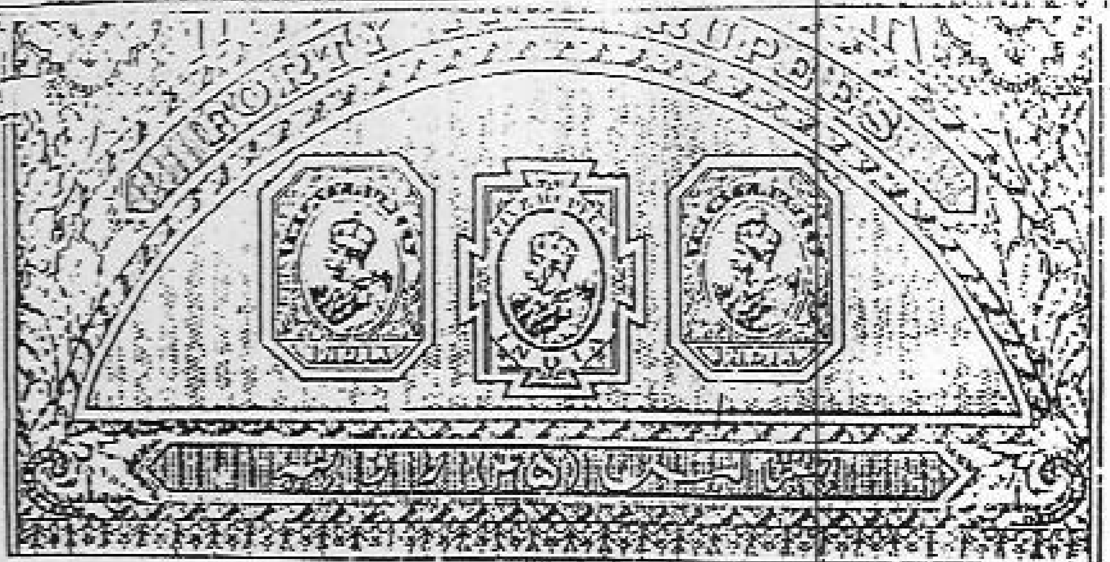

315/1

by the said purchaser to the said Mrs. Francis Ball, executrix of the will of the late Mr. Percy Marshall Ball, the receipt whereof the said executrix doth hereby acknowledge, the said executrix doth hereby grant unto the said purchaser its successors and assigns, free from all encumbrances, all that house and compund now known as the "Kunkarwala Kothi" situate in the Civil Lines of Agra and numbered 64 and measuring 17 bighas 3 biswas and bounded on the north by the stables, coach houses and out houses and wall of the old Bank house now the property of the estate of the late Mrs. Luckstedt, and partly by the lands attached to Nagla Jawahir, on the south by public road on the east by the compound of the Civil Courts, and on the west by a strip of land between the house of Lala Kanhupershad and partly by neem trees and lands belonging to the late Raja Seth Lachman Das C.I.E. of Muttra and more particularly delineated on the map or plan hereto annexed, together with out houses and other buildings, and all rights, privileges, easements and appurtenances thereto, and all the estate, right, title and interest of the said executrix unto and upon the same.

To have and to hold the said bungalow unto and to the use of the said purchaser, its successors and assigns for ever, and the said Mrs. Francis Ball doth hereby, for herself and her heirs, executors and administrators, covenant with the said purchaser, his heirs executors, administrators and assigns that she, the said executrix, has full powers and the sole and the absolute rights to sell and to assign the said bungalow and compound in manner aforesaid, and that the premises hereby transferred shall be quietly entered into and upon and held and enjoyed and the rents and profits thereof received by the purchaser without any interruption or disturbance by the said executrix or any person claiming through or in trust for her or the estate of the said Mr. Percy Marshall Ball, and also that she, the said Mrs. Francis Ball her executors and administrators, will, at the cost of the person requiring the same, execute and do every assurance or thing necessary for the further or more perfectly assuring the said premises to

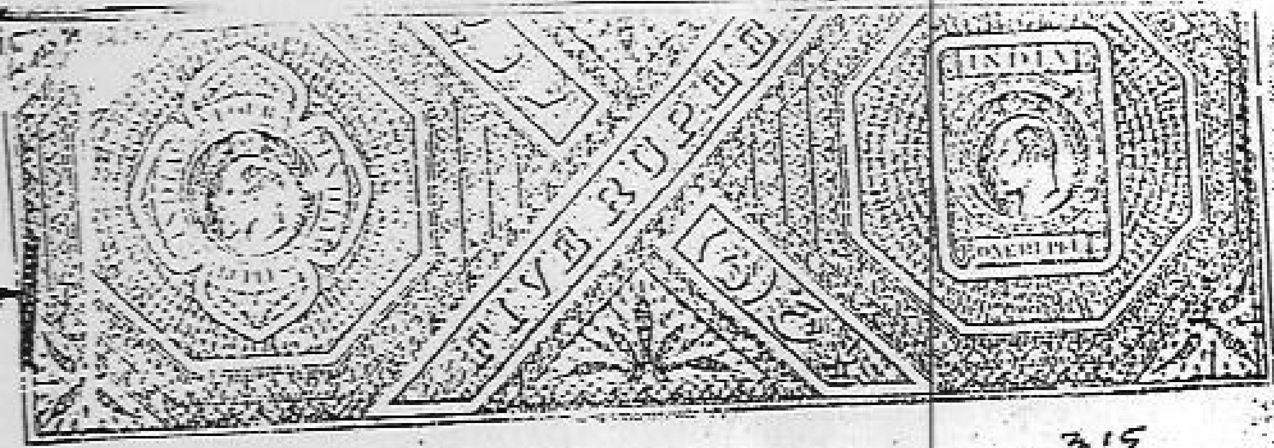

3/5/3

the purchaser its successors and assigns, as by it or them shall be reasonably required.

In witness whereof the parties hereto have set their hands the day and year first above written.

Money received by Mrs. Francis Ball as detailed below:-

(a) Received by cheque no.49 / Book no.67 dated the 30th June 1914. } Rs10000/-

(b) Received by cheque no. 78/67 dated the 14th September 1914. } Rs10000/-

Francis Ball.

[signature] R.H.A

[signature] Capt 18th Infantry

F.A. Bradley Bar-at-law ✓

[signature]

C. J. [signature] Bar-at-Law.

25 P.

पच्चीस पैसे पच्चीस पैसे

सत्यमेव जयते

भारत

TWENTY FIVE PAISE

इच्छा पत्र- [- विल]

मैं कि [राणा] महेन्द्र रिपुदमन सिंह पुत्र स्व० श्री राजा महेन्द्रमान सिंह जी भदावर, निवासी भदावर हाउस, सिविल लाइन्स शहर आगरा का हूँ । जो कि मेरी धर्म पत्नी महारानी श्रीमती रूप श्री देवी, पुत्र राज कुमार श्री वीरदमन सिंह जिसकी शादी हो चुकी है और जिसके एक पुत्र [यानी मेरा नाती] भी है तथा मेरी सुपुत्री श्रीमती मधुलिका कुमारी उर्फ लाल साहब जिसके दो सुपुत्रियां [यानी मेरी धेवतियां] भी है, जीवित हैं । मुझे मेरे परिवारीजन का सम्मान व स्नेह प्राप्त है तथा उनमें आपस में भी एक दूसरे के प्रति यथा योग्य आदर, स्नेह व सम्मान है । मेरी उपर्युक्त सुपुत्री यद्यपि विवाहित है परन्तु वह प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण, जिनका उल्लेख करना यहां मैं उचित व आवश्यक नही समझता, बाध्य होकर अपनी दोनों सुपुत्रियों के साथ मेरे पास आगरा रह रही है तथा अपनी दोनो सुपुत्रियों को सब प्रकार से योग्य बनाने के लिए आगरा के श्रेष्ठ विद्यालय में शिक्षा दिला रही है । अपनी धेवतियों के सद्व्यवहार व स्नेह से भी मैं प्रसन्न हूँ । मुझे आशा है कि यदि उनकी इसी प्रकार शिक्षा दीक्षा का प्रबंध रहे तो उनको सर्वथा सुयोग्य बनाया जा सकेगा । मेरी विभिन्न जिलों में सम्पत्तियां है जिनका मैं पूर्ण रूपेण स्वामी हूँ । इन सम्पत्तियों को हस्तांतरित आदि करने के मुझे समस्त अधिकार प्राप्त है । कोई विधि या तथ्य सम्मत बात ऐसी नही है

------2

जो मेरे द्वारा अपनी इन सम्पत्तियों को किसी भी प्रकार हस्तांतरित करने या इच्छा पत्र (वसीयत) द्वारा देने में बाधक हो । इस समय से मेरा स्वास्थ्य पूर्ण स्वस्थ नहीं है परन्तु मैं बौद्धिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ हूँ । मैं अपनी सम्पत्तियों का प्रबंध व व्यवस्था स्वयं भली भांति कर रहा हूँ और करने योग्य हूँ । मैं राजनैतिक एवं सामाजिक गतिविधियों में भी सक्रिय हूँ । मेरी इच्छा है कि मैं अपने जीवन में ही अपनी समस्त सम्पत्तियों के बारे में वसीयत (विल) करूँ ताकि मेरे देहावसान (मृत्यु) के बाद मेरी सम्पत्तियों के बारे में कोई विवाद न रहे । अतः मैं खूब सोच समझकर एवं विभिन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखकर तथा उनका विश्लेषण कर स्वस्थ चित्त तथा स्थिर बुद्धि से अपनी समस्त सम्पत्तियों के बारे में निम्न प्रकार वसीयत (विल) करता हूँ । यह मेरी अंतिम वसीयत (विल) है ।

1:- यह कि जब तक मैं जीवित हूँ अपनी समस्त सम्पत्तियों का पूर्ण स्वामी काबिज व दखील हूँ और रहूँगा । मुझे इनके संबंध में सभी प्रकार के स्वामित्व व अधिकार जो मुझे इस समय प्राप्त है जीवन पर्यन्त तक बराबर प्राप्त रहेंगे ।

2:- यह कि मेरे देहावसान (मृत्यु) के बाद फिर किसी भी जिले में

25 P.

पच्चीस पैसे पच्चीस पैसे

सत्यमेव जयते

भारत

TWENTY FIVE PAISE

मेरे नाम कृषि भूमि [टेन्योर होल्डिंग्स] हो तथा उसमें स्थित मकानियात हर किस्म , कुआँ , ट्यूबवैल , बिजली पावर कनेक्शन , पैंपिंग ,मोटर बिजली , कृषि मशीन व औजार हर किस्म इसके अतिरिक्त इन खेतों में जो भी कार्य किसी किस्म के जैसे मेला हाट आदि जो मेरे द्वारा किए जाते या होते है वह सभी कृषि भूमि सहित इन सभी की काश्तकार एवं स्वामिनी मेरी धर्म पत्नी महारानी श्रीमती ब्रिज श्री देवी होगी । मेरे अन्य किसी वारिस या परिवारीजन को कोई हक व हिस्सा न होगा ।

3:- यह कि मेरा एक प्लाट नं॰ ऐ-3/311 विशाल गोमती नगर लखनऊ में है । मेरे देहावसान के बाद मेरे इस प्लाट की एक मात्र स्वामिनी मेरी धर्म पत्नी महारानी श्रीमती ब्रज श्री देवी होगी । इसके अतिरिक्त पंजाब नेशनल बैंक में मेरे व मेरी धर्म पत्नी के नाम संयुक्त खाता है और एक अन्य खाता कोऑपरेटिव बैंक लखनऊ में है । मेरे देहावसान के बाद इन दोनो बैंक खातों की समस्त धनराशि की भी एक मात्र स्वामिनी मेरी धर्म पत्नी महारानी श्रीमती ब्रज श्री देवी होगी । मेरे अन्य किसी वारिस उत्तराधिकारी या परिवारीजन को इसमें कोई हक व हिस्सा न होगा ।

25 P.

पच्चीस पैसे पच्चीस पैसे

सत्यमेव जयते

भारत

TWENTY FIVE PAISE

4:- यह कि मोहल्ला गोपालपुरा शहर मथुरा में जो मेरी समस्त सम्पत्तियां हर किस्म भूमि , मकानात , दुकानात मय जमीन मशीन आदि स्थित है और इनसे संबंधित समस्त अधिकार है इन समस्त सम्पत्तियों एवं अधिकारों की एक मात्र स्वामिनी एवं अधिकारिणी मेरे देहावसान के बाद मेरी पुत्री श्रीमती मधुलिका कुमारी उर्फ लाल साहब धर्म पत्नी (युवराज) श्री शिवादित्य सिंह जी निवासिनी भगवर हाउस सिविल लाइन्स आगरा होगी । इसमें मेरे अन्य किसी वारिस या उत्तराधिकारी अथवा परिवारीजन का कोई हक व हिस्सा किसी किस्म का न होगा । जो स्वामित्व एवं अधिकार मुझे इन सम्पत्तियों के बारे में प्राप्त है वे सब के सब मेरी पुत्री को ही प्राप्त होंगे ।

5:- यह कि पिनाहट तहसील बाह जिला आगरा में मेरा वह मकान व जायदाद जिसमें जिला परिषद, डिस्पेंसरी मेरी अनुमति से चलाती है । इस मकान व जायदाद की एक मात्र स्वामिनी मेरे देहावसान के बाद मेरी धर्म पत्नी महारानी श्रीमती ब्रज श्री देवी होगी मेरे अन्य किसी वारिस उत्तराधिकारी या परिवारीजन का उसमें कोई हक व हिस्सा न होगा ।

25 P.

पच्चीस पैसे पच्चीस पैसे

भारत

TWENTY FIVE PAISE

6:- यह कि जहाँ तक "भदावर हाउस" नामक जायदाद स्थित सिविल लाइन्स हरीपर्वत वार्ड आगरा जिसमें आज कल मैं व मेरे उपर्युक्त सभी परिवारीजन रहते हैं के रिहायशी भाग का संबंध है मेरे देहावसान के बाद इस रिहायशी भाग के एक मात्र स्वामी मेरे पुत्र (राज कुमार) श्री अरिदमन सिंह होंगे। राज कुमार श्री अरिदमन सिंह, मेरी धर्म पत्नी तथा मेरी पुत्री के लिए उनके जीवन पर्यन्त तक उसमें रहने की समुचित व्यवस्था करेंगे। आजीवन निवास की व्यवस्था के अतिरिक्त मेरी धर्म पत्नी, पुत्री अथवा अन्य किसी परिवारीजन का इसमें कोई हक किसी प्रकार का न होगा। राज कुमार श्री अरिदमन सिंह ही इसके एक मात्र स्वामी होंगे।

7:- यह कि मेरे संयुक्त हिन्दू परिवार की इस समय 4 (चार) यूनिट हैं। उपर्युक्त "भदावर हाउस" नामक जायदाद की रिहायशी मकानियत को छोड़कर उसकी भूमि के बारे में सीलिंग विभाग में विवाद चल रहा है। अन्ततोगत्वा सीलिंग विभाग द्वारा रिक्त भूमि प्रत्येक यूनिट के लिए छोड़ना है। इस भदावर हाउस की भूमि का वह रकबा जो मुझे एक यूनिट के रूप में घोषित किया जाना तथा दिया जाना है। इस संबंध में जो भी अधिकार मुझे प्राप्त है वह सब अधिकार मेरे देहावसान के बाद मेरी धेवती आयुष्मती योगेश्वरी कुमारी तथा आयुष्मती पूर्णप्रिता कुमारी

महेन्द्र रिपुदमन सिंह ——6

25 P.

पच्चीस पैसे पच्चीस पैसे

सत्यमेव जयते

भारत

TWENTY FIVE PAISE

को संयुक्त रूप से अथवा इनमें से जो कोई भी मेरे देहावसान के समय उत्तरजीवी हो एक मात्र स्वामिनी होंगी अर्थात जो भी रकबा बदायर हाल की भूमि का मुझे एक यूनिट के रूप में सीलिंग विभाग की घोषणानुसार प्राप्त होगा वह कुल रकबा मेरी बेटियों को ऊपर के अनुसार प्राप्त होगा और वह उसकी एक मात्र स्वामिनी होंगी । मेरे अन्य किसी वारिस, उत्तराधिकारी अथवा परिवारीजन का इस रकबा भूमि में कोई हक व हिस्सा न होगा ।

8:- यह कि इस वसीयत की धारा 2 लगायत 7 में वर्णित जायदादों की जो वसीयत (विल) की गई है उन जायदादों एवं उनसे संबंधित अधिकारों को छोड़कर मेरी अन्य समस्त चल व अचल सम्पत्तियाँ तथा उनसे सम्बन्धित समस्त अधिकारों यानी जो भी सम्पत्ति की परिभाषा में आती है, जो जहां भी हो, सब कुछ तथा उनमें या उससे संबंधित जो भी सम्पत्ति हो (बाग, पेड़, कुआ, मेला, हाट, बिजली पावर कनेक्शन, टेलीफोन आदि), मेरे

1Re

INDIA

एक रुपया

सत्यमेव जयते

ONE RUPEE भारत ONE RUPEE

शादी आदि के अवसर पर पहनने के जेवरात (कंगी, हार आदि) तलवार आदि, मेरे नाम जो भी लाइसेंसी हथियार है वह सब, मेरे नाम बैंक में जमा धनराशि, सम्पत्ति के बारे में प्राप्त मुआवजा, पाए जाने वाला मुआवजा व सायर नं० सी.पी.एल./1143/एफ व अन्य पेंशन आदि यानि कि सभी प्रकार की चल, अचल, द्रव्य, अद्रव्य व्यक्तिगत आदि सम्पत्तियों के एक मात्र स्वामी व अधिकारी [illegible] मेरे देहावसान के बाद मेरे सुपुत्र राजकुमार वीरदमन सिंह होंगे । अन्य किसी वारिस, उत्तराधिकारी या परिवारी-जन को इसमें कोई स्वत्व या अधिकार किसी किस्म का न होगा ।

अतः यह वसीयतनामा (इच्छा पत्र) लिख दिया कि सनद हो और वक्त जरूरत काम आवे । यह वसीयतनामा निम्नलिखित गवाहों के समक्ष मैंने लिखा है और इस वसीयतनामा के प्रत्येक साक्षी ने मेरे सामने अपने- अपने गवाही के हस्ताक्षर किए हैं ।

साक्षी नं० -1 :- हरिगोपाल सिंह चौहान, एडवोकेट 44 [illegible], आगरा दिनांक 16-8-99.

साक्षी नं० -2 :- [illegible] E-7/97 [illegible] भोपाल 16.8.99

[illegible signature]

प्रतिलिपि खसरा ग्राम नगलापदी परगना व तहसील सदर जिला आगरा सन् १४२१ फ० से सन्

खेत की संख्या	क्षेत्रफल एकड़ों अथवा बीघा	खतौनी खाते की संख्या	खतौनी के प्रथम भाग वर्गीकरण के अनुसार खातेदार का नाम	खतौनी की भाग के वर्गीकरण के अनुसार अधिकार का प्रकार आदि कोई हो	सिंचाई की रीति और स्रोत	कृषिक (फसल वाली भूमि का क्षेत्रफल) खरीफ क्षेत्रफल: फसल का नाम	सिंचा हुआ	अन सिंचा	रबी क्षेत्रफल: फसल का नाम	सिंचा हुआ	अन सिंचा	जायद क्षेत्रफल: फसल का नाम	सिंचा हुआ	अन सिंचा	दो फसली क्षेत्रफल: सिंचा हुआ	अन सिंचा	मिलान खसरा के स्तम्भ के अनुसार अकृषिक बिना फसल वाला: भूमि की श्रेणी	क्षेत्रफल	प्रत्येक खेत के पृष्ठ और पृष्ठ की संख्या और विवरण	टिप्पणी
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१
५८५	९६/३ 3.563	३२८	राजा महेन्द्र अरिदमनसिंह	X	–	धान (६.६०) बंजर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	ऊसर बंजर नं०५ (Q)	1.262 0.456 0.152	–	

राम प्रतीप सिंह
रजि० कानूनगो
07/5/2015

BHULEKH भूलेख Land Records

<< पीछे

खाता विवरण

ग्राम का नाम :	नगला पदी	परगना :	आगरा	तहसील :	आगरा	खाता संख्या :	00329
जनपद :	आगरा	फसली वर्ष :	1419-1424	भाग :	1		

खातेदार का नाम	संरक्षक का नाम	निवास स्थान	खसरा संख्या	क्षेत्रफल(है.)	आदेश	टिप्पणी
श्रेणी : भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार मे हो।						
राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह	-	नि0 नौगवां तह0 बाह	598	3.9530		

Disclaimer : उक्त आँकड़े मात्र अवलोकनार्थ हैं, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र से उद्धरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है ।
Data Updated as on : 31/05/2016
Developed By National Informatics Ce... UP State Uni...
Site Best Viewed in IE 8.0 and Google Chrome